

पत्रांक: 9342/कुंका०/2026

दिनांक: 01 अगस्त, 2026

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के भुगतान हेतु समय-सारिणी संबंधी शासनादेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 91/2026/1941/26-3-2026-1741061, दिनांक 20 जुलाई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किए जाने, छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी निर्गत की गई है।

अतः उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में उल्लिखित समय-सारिणी एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय


01/8/26
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद आजमगढ़/मऊ
3. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
4. संबंधित पत्रावली।


कुलसचिव

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग- 3

लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी-1487 दिनांक 18-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर राजकीय, अनुदानित व निजी एवं बाह्य प्रदेशों में संचालित राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
मास्टर डाटा		
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना। प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय /	22 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक

	एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक
3	<u>मास्टर डाटा का सत्यापन</u> समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लाक किया जायेगा। राजकीय / अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लाक की गयी सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक किया जायेगा।	25 जुलाई 2026 से 14 सितम्बर 2026 तक
4	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना। मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	25 जुलाई 2026 से 14 सितम्बर 2026 तक
उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया।		
1	छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।	15 सितम्बर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
2	शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणित करना, प्रामांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा आनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करना	15 सितम्बर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक

3	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	15 सितम्बर 2026 से 5 नवम्बर 2026 तक
4	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	06 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)		
5	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना <u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	21 नवम्बर 2026 से 26 नवम्बर 2026 तक
6	मांग सृजन संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	27 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक
7	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	01 दिसम्बर 2026 से 10 दिसम्बर 2026 तक
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि	21 नवम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी संदेहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
10	संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना	1 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
11	मांग सृजन	11 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	
12	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	16 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक
उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया।		
1	<u>नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना</u>	15 सितम्बर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
2	<u>छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना</u>	16 सितम्बर 2026 से 2 नवम्बर 2026 तक
3	<u>हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना</u> नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	16 सितम्बर 2026 से 4 नवम्बर 2026 तक
4	<u>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 सितम्बर 2026 से 10 नवम्बर 2026 तक
5	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वर्गावार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	16 सितम्बर 2026 से 25 नवम्बर 2026 तक
6	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	26 नवम्बर 2026 से 05 दिसम्बर 2026 तक
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)		
5	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> <u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	06 दिसम्बर 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक
6	<u>मांग सृजन</u>	16 दिसम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक

	संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	
7	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	<u>संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वार्षिक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि</u>	6 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर तक
9	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी त्रुटिरहित किये गए सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को सही एवं सत्यापनोपरांत एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।</u>	01 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
10	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	11 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक
11	<u>मांग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	21 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक
12	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर वर्तमान नियमों का पालन करते हुए छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक की कार्यवाही। संस्था, सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
2. समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों के नवीनीकरण आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही की जायेगी।

3. उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) का परीक्षाफल न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन विज्ञे जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल, नामांकन संख्या (Enrollment Number) व उपस्थिति को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लागिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
7. किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
8. मण्डल स्तर से छात्र/छात्रों का डाटा ब्लॉक (नवीनीकरण होने पर) करने पर उक्त डाटा को ब्लॉक के साथ मांग (Demand Data) से भी ब्लॉक कर दिया जाए ताकि किसी छात्र/छात्रा का दोहरा भुगतान न होने पाए।
अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कह करें।

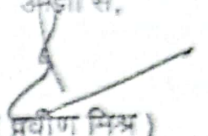
भवदीय
(अनुराग चमक)
प्रमुख सचिव

पुष्पांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाइल।

अम्झा से,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।